

**प्रपत्र ए**  
**सार्वजनिक उद्घोषणा**  
[ भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल ( कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत ]  
अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटर्स के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण	
1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	20 दिसम्बर, 1993
3. यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निर्गमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाण्डशिल्टी पहचान संख्या	CIN:U74899DL1993PTC056536
5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: बी-1/E-28, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110044, कॉर्पोरेट कार्यालय: 54, प्रकृति मार्ग, एम.जी. रोड, नई दिल्ली-110030 उपपान सुविधा: 21वां माइलस्टोन, पटौदी रोड, हरसार जिला, गुडगाँव-123505, हरियाणा
6. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आदेश होने की तिथि	11 दिसम्बर, 2018 आदेश की तिथि: 18 दिसम्बर, 2018 अंतरिम प्रस्ताव प्रफिशनल द्वारा आदेश प्राप्त की तिथि।
7. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	9 जून, 2019 (इन्सॉल्वेन्सी शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8. इन्सॉल्वेन्सी प्रफिशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रफिशनल के रूप में कार्यरत है	आकाश सिंघल पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
9. नोट में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रफिशनल का पता एवं ईमेल:	खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जी-8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002 akash@kjco.net
10. अंतरिम प्रस्ताव प्रफिशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जी-8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002 amira.cirp@gmail.com
11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि	1 जनवरी, 2019
12. क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्ग (बी) का नाम: निल
13. किसी वर्ग में क्रेडिटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रफिशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14. (क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) वेबलिनक: <a href="https://ibbi.gov.in/download-form.html">https://ibbi.gov.in/download-form.html</a> (ख) लागू नहीं

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 11 दिसम्बर, 2018 को अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्वारा अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटर्स को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पत्र पर अंतरिम प्रस्ताव प्रफिशनल के पास 1 जनवरी, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडिटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। प्रविष्टि सं. 12 (लागू नहीं) के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडिटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (निल) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रफिशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं- [लागू नहीं] दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।  
तिथि: 18 दिसम्बर, 2018  
स्थान: नई दिल्ली

आकाश सिंघल  
(अंतरिम प्रस्ताव प्रफिशनल)  
पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279



jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

# जानसत्ता

महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 21 दिसंबर, 2018, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित